फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र **बनाम** मैसर्स एलीगेन्ट

केस संख्या 157 / 2020 (धारा 14 सरफेशी एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
01.12.2020.	प्रार्थी वित्तीय संस्था–बैक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्थान के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	
17-12-20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी विपक्षी उपस्थित नहीं है। वकील प्रार्थी ने धारा 14 सरफेसी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रा. पत्र को विड्रो किये जाने का अनुरोध किया है। अत: वकील प्रार्थी के निवेदन पर धारा 14 सरफेसी एक्ट के प्रा. पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	Amount deducted application withdrawn (हस्ताक्षर) 17/12/20